कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सं0 1, जहानाबाद।

उद्धरण आमंत्रण सूचना संख्या–03/2019–20

जहानाबाद जिलान्तर्गत अवस्थित निम्न कार्य के लिए **Detailed Project Report** तैयार करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से मुहरबंद लिफाफों में उद्धरण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल सं0 1, जहानाबाद/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, बिहार, पटना के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है :–

क्रमांक	पथ का नाम	पथ की लम्बाई
1.	जहानाबाद Bye pass बनने से जहानाबाद शहर के अधीन अवस्थित NH-83 का Left out शहरी पथांश (लगभग 7.50 कि0मी0) का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य (राउण्ड डेभलभमेन्ट, ड्रेन, पेडिस्ट्रीयन फैसिलीटी, वेगिडंग जोन, पार्किंग जोन इत्यादि कार्य सहित) हेतु **DPR** का गठन कार्य।	7.50 कि.मी.
	कुल –	7.50 कि.मी.

यह उद्धरण उक्त के कार्यालयों में दिनांक– 18.09.19 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन उद्धरणकर्त्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष 3:30 बजे अपराह्न में उक्त कार्यालयों में खोला जाएगा। उद्धहरणदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी कोटेशन ससमय खोल दिया जाएगा।

कोटेशन की शर्त्ते निम्न होगी :–

1. उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रति कि.मी. के हिसाब से दर उद्धृत करना होगा।
2. उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का DPR/विस्तृत प्राक्कलन 7–7 प्रतियों में समर्पित करना होगा।
3. उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का अधोहस्ताक्षरी के निदेशानुसार कार्यादेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **Hard Copy & Soft Copy** जमा करना होगा।
4. समर्पित DPR में किसी भी प्रकार का त्रुटि दृष्टिगोचर होने की स्थिति में कोटेशनदाता स्वयं के खर्चे पर DPR में वांछित सुधार कर पुनः DPR समर्पित करना होगा।
5. कोटेशनदाताओं को कोटेशन के साथ PAN Card, निबंधन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, GST निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
6. कोटेशनदाता कोटेशन देने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर लेगें।
7. कोटेशन में दर अंकित करने हेतु एवं अन्य वांछित सूचनाएं अंकित करने हेतु 'दर प्रोफार्मा' निशुल्क उक्त कार्यालय से कोटेशन प्राप्ति की तिथि से एक दिन पूर्व 3.00 बजे अपराह्न तक वांछित कागजातों की छायाप्रति, जो अभिप्रमाणित हो, के साथ आवेदन समर्पित कर प्राप्त कर लेना होगा। कोटेशन का दर उक्त परफार्मा में ही अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए कोटेशनदाता का कोई भी दावा मान्य नही होगा। भुगतान के समय विपत्र से आयकर, जी.एस.टी. एवं अन्य वांछित कटौती नियमानुसार की ली जायेगी।
9. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. कोटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का/बिना कारण बताये रदद करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. विषेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है। विभाग से संबंधित सूचना/शिकायत के लिए **Help line No. 18003456161** का कृप्या उपयोग करें।
12. किसी कारणवश उक्त तिथि में सरकारी अवकाश घोषित होने पर कोटेशन की कार्रवाई अगले कार्य दिवस को होगी।

27.8.19

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल सं0 1, जहानाबाद।